

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर



क्रमांक :-प1(1)कार्मिक/निजी चिकि./2015/1987

दिनांक :- 16/10/15

-:: कार्यालय-आदेश ::-

मण्डल के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक 1311 दिनांक 14.07.2006 द्वारा मण्डल कार्मिकों की चिकित्सा सुविधा हेतु अधिकृत एस.के.सोनी हॉस्पिटल, सैक्टर 5, विद्याधर नगर, जयपुर-13 का अधिग्रहण हो जाने के फलस्वरूप हॉस्पिटल का नाम परिवर्तन हो गया है। अतः नवीन नाम सोनी मणिपाल हॉस्पिटल, सैक्टर 5, विद्याधर नगर, जयपुर-13 को मण्डल कार्मिकों की चिकित्सा सुविधा हेतु संदर्भित आदेशों में वर्णित शर्तों पर एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेशों को आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(शंकर लाल कुमावत)

सचिव

16/10/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता-मु./I/II,रा0आ0म0, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/निदेशक विधि/अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक/उप सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-I/II/III, राज0आवा0मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-..... राज0आवा0मण्डल,.....।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-..... राज0आवा0मण्डल,.....।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी-वित्त एवं भुगतान/वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक/सहायक सचिव/प्रभारी अधिकारी, गोपनीय/एसीआर/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा0आ0म0, जयपुर।
8. सोनी मणिपाल हॉस्पिटल, सैक्टर 5, विद्याधर नगर, जयपुर-13।
9. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक